न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

सुरेश कुमार बनाम कैलाश आदि

मु.नं. 108 वर्ष 2[illegible]

किस्म मुकदमा दावा (53, 188)

दिनांक	आज्ञा - पत्र
01/10/25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 13/11/25 को पेश हो।
15/10/25	पत्रावली में वकील प्रार्थी [illegible] के अधि॰ बाबत विपक्ष तलबी पेश हो॰ पर कोई भी नहीं उपस्थित। वकील प्रार्थी ने [illegible] के तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार [illegible] तहसीलदार [illegible] के पत्रांक : 286 / 25 / 3584 दिनांक 6/10/25 के साथ विभाजन प्रस्ताव [illegible] व इसी की पत्रावली का अवलोकन किया [illegible] तहसीलदार [illegible] व तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव [illegible] के बाबत [illegible] पत्रावली [illegible] तलबी [illegible] है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला-सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 11:58:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

बइजलास– राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर– 108/2025

सुरेश कुमार पुत्र बनवारीलाल उम्र 30 वर्ष जाति जाट निवासी पुरा छोटी तहसील धोद जिला सीकर

–वादी

बनाम

01. कैलास पुत्र बजरंग
02. राजकिशोर पुत्र बजरंग
03. निर्मला पुत्री बजरंग
04. सुभाषचन्द पुत्र रामेश्वर
05. परसुराम पुत्र रामेश्वर
06. कमला पुत्री रामेश्वर
07. प्रहलाद पुत्र जीवण
08. प्रवीण कुमार पुत्र सुरेश कुमार
09. इन्दुबाला पत्नी सुरेश कुमार
10. गौरीशंकर पुत्र मक्खन
11. निर्मल कुमार पुत्र मक्खन
12. भगवती पत्नी मक्खन
13. इवांसी पुत्री स्व. विकास आयु 3 वर्ष अ0 वयस्क जरिये संरक्षिका दादी इन्दुबाला पत्नि सुरेश कुमार

    समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम मूण्डवाडा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
14. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक शाखा बाडलवास तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
15. तहसीलदार, सीकर ग्रामीण तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति–

01. श्री गणपत लाल, एड. वकील वादी की ओर से
02. श्री महेन्द्र कुमार जाखड़, एड. वकील प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4, 6 ता 13 की ओर से

उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला–सीकर (राज.)

–:निर्णय:–

दिनांक– 15.10.2025

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 13 के संयुक्त कब्जे, काश्त की कृषि भूमि खसरा सं. 478 रकबा [illegible] हेक्टेयर वाके ग्राम मूण्डवाड़ा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के [illegible] तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर दिनांक 12.09.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई, जिसकी अनुपालना में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के [illegible]/25/3464 दिनांक 06.10.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि मुताबिक तहसीलदार, सीकर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जावें। प्रत्युत्तर में वकील

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 11:58:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

प्रतिवादीगण सं. 1 ता 4, 6 ता 13 ने भी तहसीलदार, सीकर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वादी का वाद अंतिम डिक्री किये जाने पर सहमति व्यक्त की। बहस उभयपक्ष से सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया, समग्र पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। उक्त बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मुताबिक प्राथमिक डिक्री है। उपस्थित उभयपक्ष के अभिभाषकगण उक्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के अनुसार वादी का वाद अंतिम डिक्री किये जाने पर सहमत है।

अतः प्रकरण में विवादित भूमि के बंटवारे की अंतिम डिक्री तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के प्रस्तावानुसार किया जाना उचित है। अतः तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक मू.अ./25/3464 दिनांक 06.10.2025 के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वाके ग्राम मूण्डवाड़ा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा सं. 478 रकबा 7.2200 हैक्टेयर का निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है–

क्र. सं.	खातेदार विवरण	खसरा सं.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म
1	सुरेश कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति जाट सा. पुरा छोटी	478 मिन	0.7900	बारानी–2
	योग	किता 1	0.7900	–
2	इन्दुबाला पत्नी सुरेश कुमार हि. 1/33 कमला पुत्री रामेश्वर हि. 30/361 कैलाश पुत्र बजरंग हि. 28/361 गौरीशंकर पुत्र मक्खन हि. 30/361 रहिन हि. (गौरीशंकर सम्पूर्ण) पंजाब नेशनल बैंक शाखा बाडलवास निर्मल कुमार मक्खन हि. 30/361 निर्मला पुत्री बजरंग हि. 6/361 प्रवीण पुत्र सुरेश कुमार हि. 1/33 परशुराम पुत्र रामेश्वर हि. 30/361 प्रहलाद पुत्र जीवण हि. 51/361 भगवती पत्नी मक्खन हि. 30/361 राज किशोर पुत्र बजरंग हि. 28/361 विकास पुत्र सुरेश कुमार हि. 1/33 सुभाष पुत्र रामेश्वर हि. 30/361 जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार	478 मिन	6.4300	बारानी–2
	योग	किता 1	6.4300	–

तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक मू.अ./25/3464 दिनांक 06.10.2025 के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम कर अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावें। यदि रहन है तो रहन यथावत रहेगा। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 11:58:19 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

बइजलास राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

सुरेश कुमार बनाम कैलास आदि

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक– 15.10.2025

मुकदमा सं.– 108/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर बहाजिरी श्री गणपतलाल, एड. मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री महेन्द्र कुमार जाखड़, एड. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांकः भू.अ./25/3464 दिनांक 06.10.2025 के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वाके ग्राम मूण्डवाड़ा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा सं. 478 रकबा 7.2200 हेक्टेयर का निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है–

क्र. सं.	खातेदार विवरण	खसरा सं.	रकबा (हेक्टेयर)	किस्म
1	सुरेश कुमार पुत्र बनवारीलाल जाति जाट सा. पुरा छोटी	478 मिन	0.7900	बारानी–2
	योग	किता 1	0.7900	–
2	इन्दूबाला पत्नी सुरेश कुमार हि. 1/38 कमला पुत्री रामेश्वर हि. 30/361 कैलाश पुत्र बजरंग हि. 28/361 गौरीशंकर पुत्र मखन हि. 30/361 राहिन हि. (गौरीशंकर सम्पूर्ण) पंजाब नेशनल बैंक शाखा बाडलवास निर्मल कुमार मखन हि. 30/361 निर्मला पुत्री बजरंग हि. 6/361 प्रवीण पुत्र सुरेश कुमार हि. 1/38 परशुराम पुत्र रामेश्वर हि. 30/361 प्रहलाद पुत्र जीवण हि. 51/361 भगवती पत्नी मखन हि. 30/361 राज किशोर पुत्र बजरंग हि. 28/361 विकास पुत्र सुरेश कुमार हि. 1/38 सुभाष पुत्र रामेश्वर हि. 30/361 जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार	478 मिन	6.4300	बारानी–2
	योग	किता 1	6.4300	–

तहसीलदार, सीकर ग्रामण के पत्रांकः भू.अ./25/3464 दिनांक 06.10.2025 के द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम कर अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावें। यदि रहन है तो रहन यथावत रहेगा।यह आज तारीख 15.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला-सीकर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.10.17 11:58:19 IST
Reason: SelfAttested

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर